राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(65)नविवि/3/03 जयपुर दिनांक: 02.11.07

:: आदेश ::

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 7(1) तथा राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 7(1) के तहत वर्तमान में लीजडीड जारी करने पर लीज रेंट की राशि जो नियमों के अनुरूप उस क्षेत्र की आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग पर देय है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि निजी कृषि भूमि/निजी खातेदार/निजी विकासकर्ता/निजी निवेशकर्ता एवं टाउनशिप परियोजनाओं में केवल कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि नियमन प्रकरणों में उपरोक्त लीज रेंट की राशि प्रचलित आरक्षित दर के आधार पर वसूल न की जाकर उस क्षेत्र की नियमन राशि के 4 गुना राशि के आधार पर ही वसूल की जावें अर्थात् नियमन के लिए घोषित दरों की 4 गुना राशि ही उस क्षेत्र के लिए आरक्षित दरें मानी जावे। ये आरक्षित दरें उपरोक्त नियमों के तहत भू-आवंटन, नीलामी प्रकरणों पर लागू नहीं होगी। अतः समस्त नियमन/रूपान्तरण प्रकरण नियमन राशि के 4 गुना राशि को ही आरक्षित दर मानते हुए निर्धारित किये जावें। यह छूट उसी स्थिति में देय होगी जब आवेदक द्वारा लीज रेंट एकमुश्त 8 वर्ष के लिये जमा करवाया जावेगा। लीज रेंट के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि लीज रेंट 8 वर्ष के लिये एकमुश्त जमा करवाने की स्थिति में एकबारीय लीज माना जावेगा। यदि आवेदक द्वारा पृथक-पृथक में प्रतिवर्ष के आधार पर लीज रेंट जमा करवाया जावेगा तो लीज राशि उस क्षेत्र की प्रचलित आरक्षित दरों पर ही देय होगी। उक्त आदेश राजस्थान की समस्त स्थानीय निकायों, समस्त नगर विकास न्यास एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल पर तत्काल प्रभावशील होगा। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों का अधिक्रमण में यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त जारी किया गया है।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय शासन विभाग।
10. सचिव, सभी नगर विकास न्यास।